(15)

ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

सिलिंग वाद संख्या 02/2014–15

थानु यादव बनाम सुवन्ती देवी वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही थानु यादव पिता खीरू महतो, ग्राम बच्छई, चौपारण अंचल ने अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पत्र दिया है कि ग्राम बच्छई के खाता सं0 30, प्लौट सं0 22, रकबा $1\frac{1}{3}$ डी0 भूमि विक्रेता द्वारा मुझे न बेचकर सुवन्ती देवी पति तुलसी साव को बेच दिया जो गलत है। प्रश्नगत भूमि का मैं सह रैयत एवं सह हिस्सेदार हूँ। इनके द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा 16 (3)(1) के तहत चालान सं0 693, दिनांक 10.09.2014 द्वारा केवाला का मूल्य मो0 75000/रू0 एवं 10 प्रतिशत की राशि मो0–7500/रू0 कुल 82500/रू0 (बैरासी हजार पांच सौ) रूपये जिला कोषागार हजारीबाग में जमा करते हुए भूमि वापस दिलाने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के आवेदन एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता के सुना एवं विधिवत अभिलेख खोलकर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी चौपाराण से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। नोटिस का तामिला प्राप्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख के साथ संलग्न है।

उभय पक्ष उपस्थित हुए प्रथम पक्ष द्वारा लिखित तहरीर दाखिल किया गया जिसमें इन्होने उल्लेखित किया है कि खाता सं0 30 , प्लौट नं0 22, रकबा $1\frac{1}{3}$ डी0 जानिब उ0–जगदीश महतो वगै0, द0–प्लौट का बचा हुआ भाग पू0–कैलाश महतो वगै0, प0–कच्चा रास्ता मौजा बच्छई से संबंधित भूमि है। सर्वे खतियान में 1. चमन गोवार 2 प्रसादी गोवार 3. भिखारी गोवार तीनो के पिता करमन गोवार के नाम ब हिस्सा बराबर दर्ज है। प्रत्येक को उक्त प्लौट में $0.06\frac{2}{3}$ ए0 हिस्स है। भिखारी गोवार के दो लड़के 1. लच्छू महतो एवं 2. खीरू महतो बंटवारा में प्रत्येक को 0.0333 डी0 हिस्सा हुआ। खीरू महतो ने अपने हिस्से से अधिक भूमि विपक्षी सुवन्ती देवी को बिक्री कर दिये जो ना तो जमीन का हिस्सेदार था ना हिस्सेदार है। आवेदक स्वयं विक्री सुदा रकबा एवं प्लौट के द0 चौहदी में बगलगीर भी है एवं हिस्सेदार भी है।

विपक्षी सुवन्ती देवी वगै0 द्वारा ना तो अपना पक्ष रखा ओ ना ही लिखित बहस दिया गया तथा पिछले कई तिथियों से विपक्षी एवं इनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी एवं उनके अधिवक्ता को इस वाद में कोई रूची नहीं है।

अंचल अधिकारी, चौपारण के पत्रांक 679, दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि ग्राम बच्छई, थाना नं0 172, खाता न0 30, प्लौट नं0 22, कुल रकबा 0.20 ए0 भूमि सर्वे खतियान में चमन गोवार, प्रसादी गोवार वो भिखारी गोवार के नाम से दर्ज है। स्थल जांच एवं

ग्रामीणों से पूछ–ताछ से ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर थानु यादव वगै0 का दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि की चौहदी इस प्रकार है उ0–उमेश यादव वो जगदीश यादव द0–थानु यादव वो किशुन महतो पू0–कैलाश यादव वो लखन यादव प0–रास्ता।

उपरोक्त अंकित परिस्थति में इस वाद में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अंचल अधिकारी, चौपारण के जांच प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक का दावा सही है वह प्रश्नगत भूमि के सह रैयत है। आवेदक का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी सुवन्ती देवी पति तुलसी साव विक्रय पत्र सं0 1426, दिनांक 18.06.2014 से प्राप्त जमीन को आवेदक थानु यादव पिता खीरू महतो के नाम निबंधित केवाला कर दे तथा थानु यादव द्वारा जमा किये गये विक्रय पत्र की राशि जिला कोषागार से प्राप्त कर ले।

लेखापित एवं संशोधित

19/8/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

19/8/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग